प्रपत्र 30.1

FORM-II

(For projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand **Office of the District Collector DEHRADUN**

No 249/DLRC **Dated** 26/03/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 9.194 **hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PMGSY, Div. I.D., Dehradun for the Construction of Shastradhara to Naliwala (11.425Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Naiwala village in Dehradun tehsil.**

ASSTT. ENGR

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 9.194 **hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V annexure 23.2, 23, 23.1**

ASSTT. ENGR

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and

the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of Naliwala villages(s) is enclosed as annexure 30 to annexure 30.20

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: - As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
देहरादून

FORM-I

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector

No. 249/DLRC   Dated. 26/03/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and Other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) act,2006('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it certified that 9.194 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **P.W.D Uttarakhand** for New **Road Construction in Dehradun** district falls within jurisdiction of **Naliwala** Village in **Dehradun sadar** Tehsils.

ASSTT. ENGR

It is further certificated that:

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 9.194 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23.2, 23,23.1

ASSTT. ENGR

(b) The Division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Signature
(full name and official seal of he District Collector)

जिलाधिकारी
देहरादून

96

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद देहरादून

पत्रांक 249/डी0एल0आर0सी0/ दिनांक 26/03/2015

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातिय व्यक्ति एंव पारम्परिक वन निवासी हेतुं गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 26/03/2015 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत सहस्त्रधारा–नालीवाला **मोटर मार्ग** के निर्माण प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु 9.194 हे0 भूमि वन विभाग से ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिक कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एंव उपखण्ड समिति–देहरादून द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यो द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एंव संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी– देहरादून सदर की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 9.194 हे0 भूमि जो कि वन विभाग के रायपुर रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

ASSTT. ENGR

उपजिलाधिकारी– देहरादून सदर की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न हैं।

(रामअवतार सिंह)	(धीरज पाण्डेय)	(रविनाथ रमन)
जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी	जिलाधिकारी, देहरादून

जिलाधिकारी देहरादून

पृ0स0 249 /डी0एल0आर0सी0/ दिनांक 26/03/2015

प्रतिलिपिः–

1 अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून।

(रविनाथ रमन)
जिलाधिकारी, देहरादून

जिलाधिकारी

97

प्रभागीय वनाधिकारी,मसूरी/जिलाधिकारी महोदय,

पत्रावली के दायीं और रक्षित वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता,पी0एम0एस0वाई0,सिंचाई खण्ड,देहरादून द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना (जनजाति कार्य मंत्रालय) दिनांक 01 जनवरी,2008 के क्रम मे ग्राम स्तरीय समिति एवं उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा जनपद देहरादून मे सहस्त्रधारा (कार्लिगाड) से नालीवाला मोटर मार्ग निमार्ण हेतु 9.125है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तानान्तरण हेतु पारित किया गया है।

ASSTT. ENGR

उप खण्ड स्तरीय समिति, उपजिलाधिकारी (सदर) देहरादून द्वारा दिनांक 26.03.2015 को पारित प्रस्ताव के पश्चात् जिला स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाना है।

अतः उप खण्ड स्तरीय समिति,देहरादून द्वारा प्राप्त उक्त प्रस्ताव का अवलोकन करते हुये जिला स्तरीय समिति द्वारा पारित किये जाने हेतु सहमति की दशा मे रक्षित पत्रालेख पर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

26/3/15

(राम अवतार सिंह)
जिला समाज कल्याण अधिकारी/सचिव–सदस्य,
देहरादून।

26/3/15

जिलाधिकारी
देहरादून

प्रपत्र 30.2

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Ravi Nath Raman I.A.S District Magistrate, DEHRADUN on dated 26/03/2015 at time 4:30PM at DEHRADUN In which application claiming rights in measuring 0.567 Hact. Area hect for the construction of Village Shastradhara to Naliwala motor road (11.425Km) forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Dehradun sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

ASSTT. ENGR

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Dehradun

Dated: 26/03/2015

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

जिलाधिकारी
देहरादून

प्रपत्र 30.3

परियोजना का नाम	:–	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, देहरादून
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, देहरादून

उपखण्ड **देहरादून** परिक्षेत्र के अन्तर्गत सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग (8.627 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.567 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि, [illegible] हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल ९.१९५ हे0 वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देहरादून,) की दिनांक 26/03/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रामजी शरण उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
श्री रामजी शरण उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	
श्री डी0पी0 बलोनी उप प्रमागीय वनाधिकारी	सदस्य	
श्री बी0डी0राणा सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	
श्रीमती शैंला देवी बी0डी0सी0	सदस्य	दि0 .... ह0 शैला देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग परियोजना हेतु ९.१९५ हे0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वनप्रभाग देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम,

2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **देहरादून** परिक्षेत्र के अर्न्तगत ग्राम सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु १.९५ हे0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– देहरादून
जनपद– देहरादून

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, देहरादून. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– देहरादून
जनपद– देहरादून

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम	:–	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम नालीवाला
तहसील सदर, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **देहरादून** के अर्न्तगत सहस्त्रधारा –नालीवाला **मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (8.627 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.567 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि, [illegible] हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 9.194 हे0 वन भूमि) का **ग्राम्य विकास विभाग** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नालीवाला द्वारा दिनांक 12.02.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तलाई के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नालीवाली

गुड्डी पयाल
प्रधान
ग्राम पंचायत नालीकला
वि0ख0 रायपुर, देहरादून
मुहर सहित

25/3/15

102

प्रपत्र–28

परियोजना का नाम	:–	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में सहस्त्रधारा – नालीवाला तक मोटर मार्ग।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

सहस्त्रधारा – नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण से सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में सर्वसहमति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि मोटर मार्ग जनहित में अति आवश्यक है तथा मार्ग निर्माण में आने वाली समस्त भूमि को वर्तमान संर्किल दरों पर लो0नि0वि0 विभाग को देने को सहमत है।

अतः मार्ग निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

दिनांक 12.02.2015

गुड्डी
गुड्डी पयाल
प्रधान
ग्राम पंचायत नालीकला
वि0ख0–रायपुर, देहरादून

गुड्डी पयाल
प्रधान
ग्राम पंचायत ना
वि0ख0–रायपुर, दे
ह0/–
ग्राम प्रधान की मोहर

प्रपत्र 30.5

दिनांक 12.02.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत नालीवाला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री कंवर सिंह S/0 सवान सिंह ग्राम नाली कला	कुंवरसिंह
2	श्री मुलायम सिंह S/0 कंवर सिंह ग्राम नाली कला	[signature]
(3)	श्री रतेन सिंह S/0 प्रेम सिंह नाली कला	रतेनसिंह नेगी
(4)	श्री बेताल सिंह S/0 कुंवर सिंह ग्राम नाली कला	बेतालसिंह
(5)	श्री जगदीश सिंह पयाल S/0 कृपाल सिंह ग्राम नाली कला	[signature]
(6)	श्री शेर सिंह S/0 काशीराम ग्राम नाली कला	शेरसिंह
(7)	श्री नरेन्द्र सिंह S/0 सवान सिंह ग्राम नाली कला	[signature]
(8)	मदन लाल S/0 बहादर ग्राम नाली कला	मदन लाल
(9)	श्री इतवार सिंह S/0 सवान सिंह " "	इतवारसिंह
(10)	रामदत्त S/0 चन्द्रमणी ग्राम नाली कला	[signature]
(11)	श्री बचन सिंह S/0 कुंवर सिंह " "	बचन सिंह पयाल
(12)	प्रेम सिंह S/0 अमर सिंह " "	प्रेमसिंह
(13)	कलम सिंह S/0 सूरिया सिंह " "	Kalam Singh
(14)	महावीर सिंह S/0 कमल सिंह " "	महावीरसिंह
(15)	श्यामलाल S/0 घिल्दू " "	श्याम
(16)	कृपाल सिंह S/0 मातवार सिंह " "	कृपालसिंह
(17)	धन सिंह S/0 माडू सिंह " "	[illegible]
(18)	रमेश सिंह S/0 कृपाल सिंह " "	रमेश सिंह
(19)	भरत सिंह S/0 कृपाल सिंह " "	[illegible]
(20)	किशन S/0 कृपाल सिंह " "	किशन पयाल
(21)	सवानु S/0 घिल्दू सिंह " "	सवानु
(22)	मान सिंह S/0 सवानु " "	मान सिंह
23	रणवीर S/0 सवानु " "	रणवीरसिंह
(24)	रोशन S/0 घिल्दू " "	रोशन
(25)	दिपा S/0 गोवरु " "	[signature]
(26)	[illegible]	[signature]

गुड्डी
गुड्डी पयाल
प्रधान
ग्राम पंचायत नालीकला
वि0ख0–रायपुर, देहरा
ग्राम प्रधान

(29) प्रेम सिंह S/O ~~आलवार~~ गोपाल सिंह ग्राम नाली कला — प्रेमसिंह

(30) प्रेम सिंह S/O अमर सिंह " "

(31) चन्दन S/O प्रेम सिंह " "

(32) राय सिंह S/O प्रेम सिंह " " — चन्दन सिंह

(33) विक्रम सिंह S/O प्रेम सिंह " " — रायसिंह

(34) रतन सिंह S/O भाउ सिंह " " — रतन सिंह

(35) हरनाम S/O अतर सिंह " " — मदनसिंह

(36) मदन S/O हरनाम सिंह " " — हरनामसिंह

(37) कुंवर सिंह S/O नारायण सिंह " " — कंवरसिंह

(38) महीपाल सिंह S/O कुन्दन सिंह " " — मुकेशसिंह

(39) मुकेश S/O इतवार सिंह " " — जयवीर सिंह

(40) जयवीर S/O आलवार सिंह " "

(41) मोहन सिंह नेगी पूर्व क्षेत्रपंचायत सदैना (नाली कला) — मोहन सिंह नेगी पू० क्षे० सदस्य

(42) गोविंद सिंह राणा S/O प्रेम सिंह " " — Govind Singh

(43) बचन सिंह नेगी S/O प्रेम सिंह " " — बचन सिंह

(44) सुरवीर सिंह बिष्ट S/O कुंवर सिंह " " — सुरवीर सिंह बिष्ट

(45) धूम सिंह S/O कुंवर सिंह " " — धूमसिंह

(46) विक्रम सिंह वार्ड सदस्य वार्ड न0 5 " " — विक्रम सिंह

(47) राकेश चमोली वार्ड सदस्य वार्ड न0 = 4 " " — Rakesh

(48) श्रीमती विनिता देवी वार्ड सदस्य वार्ड न0 = 3 " " — विनिता देवी

(49) श्रीमती सीता देवी वार्ड सदस्य वार्ड न0 = 1 " " — सीता देवी

(50) श्रीमती कृष्णा देवी ~~वार्ड सदस्य वार्ड न0~~ 34 प्रधान " " — कृष्णा देवी

(51) जगदीश नेगी S/O कुंवर सिंह नाली कला — जगदीश सिंह

(52) मदन सिंह S/O दिवान सिंह " " — मदन सिंह

(53) चमनी देवी W/O रमेश सिंह " " — चमनी देवी

(54) श्रीमती अनीता जवाड़ी पूर्व क्षेत्रपंचायत सदस्य सदैना (नाली कला) — Anita Jawari

(55) दयाल सिंह रावत S/O भवान सिंह

(56) जयपाल सिंह पुण्डीर S/O वीरेन्द्र सिंह ग्राम नाली कला — Dayal

(57) धनीराम भट्ट S/O रविदत्त ग्राम नाली कला

(58) श्री विक्रम सिंह पोखरियाल ग्राम नाली कला — धनीराम

(59) सुमनलाल S/O शोभाराम " " — विक्रमसिंह

(60) चमनलाल S/O लोभीराम " " — सुमनलाल

(61) हरीराम S/O दौलतराम " " — चमनलाल

(62) गोपाल सिंह S/O कुंवर सिंह " " — हरीराम

(63) करण सिंह S/O कुंवर सिंह " " — गोपालसिंह

(64) जयपाल सिंह ...

गुड्डी
गुड्डी पयाल
प्रधान
ग्राम पंचायत नालीकला
वि0ख0–रायपुर, देहरादून

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– ....कार्लीगाड़........

तहसील – देहरादून।

जिला – देहरादून।

उत्तराखण्ड में जनपद–देहरादून में मसूरी वन प्रभाग के लाड़पुर रेंज अन्तर्गत विकास खण्ड **रायपुर में सहस्त्रधारा (कार्लिगाड़)-नालीवाला मोटर मार्ग** (11.425 किमी0) के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत....कार्लीगाड़....द्वारा दिनांक....29/05/17.... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम....कार्लीगाड़....के ग्रामवासियों को उक्त **सहस्त्रधारा (कार्लिगाड़)-नालीवाला मोटर मार्ग**/प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 (हस्ताक्षर) — ग्राम पंचायत सिरोना, वि0 ख0 रायपुर देहरादून (मुहर)

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0 (हस्ताक्षर) — ग्राम पंचायत कालीगाड सहस्त्रधारा, ग्राम प्रधान, वि0 ख0 रायपुर देहरादून (मुहर)

ग्राम प्रधान
मुहर सहित

प्रपत्र– 28

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड़ में सहस्त्रधारा (कार्लीगाड़)–नालीवाला तक मोटर मार्ग।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण से सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में सर्वसहमति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि मोटर मार्ग जनहित में अति आवश्यक है तथा मार्ग निर्माण में आने वाली समस्त भूमि को वर्तमान सर्किल दरों पर लोक निर्माण विभाग को देने में सहमत है।

अतः मार्ग निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है।

ग्राम पंचायत कालीगाड सहस्त्रधारा
ग्राम प्रधान
वि0ख0 रायपुर, जिला–देहरादून

ग्राम प्रधान

प्रपत्र - 30.5

दिनांक 29/05/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कालीगाड़

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुरज सिंह	सुरजसिंह
2	भरत सिंह	भरतसिंह
3	धूम सिंह	धनासिंह
4	किरपाल सिंह	कृपालसिंह
5	रतन सिंह	रतनसिंह
6	किशन प्रकाश	किशनसिंह
7	इतवार सिंह	इतवार सिंह
8	मोहर सिंह	मोहरसिंह
9	गोविन्द सिंह	गोविन्दसिंह
10	किरपाल सिंह	किरपालसिंह
11	लक्ष्मी देवी	
12	प्रेमलता	प्रेमलता देवी
13	तारा देवी	तारा देवी
14	शान्ति देवी	
15	शीला देवी	
16	सुशीला देवी	
17	गोदावरी देवी	गोदावरी देवी
18	मुरली देवी	
19	गुड्डी देवी	गुड्डी देवी
20	शकुन्तला देवी	शकुन्तला देवी
21	रेखा देवी	रेखा देवी
22	शंकरी देवी	रुपवती देवी
23	मीना देवी	मीना देवी
24	बीना देवी	बीना देवी
25	ऊषा देवी	ऊषा देवी
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		

ग्राम पंचायत कालीगाड सहस्त्रधारा
ग्राम प्रधान
वि०ख० रायपुर, जिला-देहरादून

ग्राम प्रधान

other 6